


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2218]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2013/आश्विन 1, 1935

No. 2218]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2013/ASVINA 1, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2013

का.आ. 2890(अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना-2021 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से पैंतालीस दिनों के अंदर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.सं.आ. 1173(अ), दिनांक 9-5-2013 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था।

3. जबकि, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है :

अध्याय-बार संशोधन इस प्रकार हैं:

अध्याय/क्र.सं.	दिल्ली मुख्य योजना - 2021 का पैरा/खंड/सारणी	संशोधन
1.	2.	3.
(क) अध्याय 4.0 - आश्रय		
1.	पैरा 4.2.2.2 ख . अनधिकृत/नियमित अनधिकृत कॉलोनियां	<p>(क) निम्नलिखित सुविधाओं को संयुक्त सुविधा केन्द्र (500-1000 वर्ग मीटर) में शामिल किया जा सकता है;</p> <p>(i) बहुउद्देश्य समाज सदन -100 वर्ग मीटर (ii) बस्ती विकास केन्द्र -100 वर्ग मीटर (iii) धार्मिक स्थल -100 वर्ग मीटर (iv) पुलिस चौकी -100 वर्ग मीटर (v) स्वास्थ्य केन्द्र -100 वर्ग मीटर (vi) पार्क /शिशु वाटिका -200 वर्ग मीटर</p> <p>(vii) आवश्यक खुदरा दुकानों जैसे मिल्क बूथ, उचित दर दुकान, मिट्टी के तेल की दुकान आदि के लिए स्थान की व्यवस्था की जाए।</p> <p>(viii) अनौपचारिक व्यापार इकाइयों और साप्ताहिक बाजार की, जहां आवश्यक हो, व्यवस्था की जाए।</p> <p>(घ) यदि, दिल्ली मुख्य योजना मानदण्डों के अनुसार पृथक सुविधा प्लॉट व्यवहार्य नहीं हैं तो सुविधाओं को सम्मिलित किया जा सकता है और उन्हें वास्तविकताओं और आवास आरक्षण (.आर.ए) की अवधारणा का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जा सकता है।</p>
(ग) अध्याय 7.0 - उद्योग		
2.	अनुबंध - III : उद्योगों की निषिद्ध/नेगेटिव सूची	तथापि, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उद्योग विभाग जीएनसीटीडी के परामर्श से सीपीसीबी द्वारा निर्धारित तथा डीपीसीसी द्वारा अपनाये गए पैरामीटरों/मानदण्डों के अनुसार उक्त सूची के अन्तर्गत आने वाली विशेष गतिविधि/उद्योग/फैक्ट्री का निर्धारण करने हेतु

		<p>अंतिम निर्णय लेगा।</p> <p>1. आर्क/इंडक्शन फर्नेस38 फाउन्डरी (कुपोला फर्नेस)*.....88. स्टेनलैस स्टील पिकलिंग</p> <p>नोट: (iii) तथापि, किसी प्रकार के फर्नेस को जारी रखना सीपीसीबी और डीपीसीसी के नियत पैरामीटरों में होगा।</p>																						
(ग) अध्याय 7.0 – पर्यावरण																								
3.	तालिका 9.2 के नीचे दी गई टिप्पणी: प्रतिवेश स्तर पर मनोरंजनात्मक क्षेत्र/पार्कों के लिए आयोजना मानदण्ड एवं मानक।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>श्रेणी</th> <th colspan="2">आयोजना मानकदण्ड एवं मानक</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>जनसंख्या/ यूनिट (लगभग)</th> <th>भूखंड क्षेत्र (हेक्टेयर)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>प्रतिवेश पार्क*</td> <td>10000</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>आवासीय क्षेत्र पार्क</td> <td>5000</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>आवासीय समूह स्तर पर लॉट</td> <td>250</td> <td>0.0125</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	श्रेणी	आयोजना मानकदण्ड एवं मानक				जनसंख्या/ यूनिट (लगभग)	भूखंड क्षेत्र (हेक्टेयर)*	1.	प्रतिवेश पार्क*	10000	1.0	2.	आवासीय क्षेत्र पार्क	5000	0.5	3.	आवासीय समूह स्तर पर लॉट	250	0.0125	<p>* मल्टी जिम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले पार्कों में अनुमेय होंगे और उनका निर्मित क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर तक होगा।</p>	
क्र. सं.	श्रेणी	आयोजना मानकदण्ड एवं मानक																						
		जनसंख्या/ यूनिट (लगभग)	भूखंड क्षेत्र (हेक्टेयर)*																					
1.	प्रतिवेश पार्क*	10000	1.0																					
2.	आवासीय क्षेत्र पार्क	5000	0.5																					
3.	आवासीय समूह स्तर पर लॉट	250	0.0125																					
4.	तालिका 9.4 के नीचे दी गई टिप्पणियां	<p>i) केन्द्रीय विस्टा और विरासत क्षेत्रों को छोड़कर उपर्युक्त उपयोग परिसरों में निम्नलिखित सुख-सुविधा संरचनाओं की अनुमति है : शौचालय ब्लॉक, पम्प कक्ष, विद्युत कक्ष, गार्ड कक्ष, उपकरण कक्ष।</p> <p>ii) सम्मेलन केन्द्र और प्रशासनिक कार्यालय केवल विरासत क्षेत्रों में अनुमेय हैं।</p> <p>iii) मल्टी जिम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले पार्कों में अनुमेय होंगे और उनका निर्मित क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर तक होगा।</p>																						
अध्याय 13.0 सामाजिक अवस्थापना																								
5.	तालिका 13.7 के नीचे दी गई टिप्पणी: खेल सुविधाओं के लिए मानदण्ड एवं मानक।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>श्रेणी</th> <th>जनसंख्या/ यूनिट (लगभग)</th> <th>भूखंड क्षेत्र (हेक्टेयर)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>डिविजनल खेल केन्द्र/गोल्फ कोर्स</td> <td>10 लाख</td> <td>10 से 30 और ऊपर</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>जिला न्यायालय</td> <td>5 लाख</td> <td>3 से 10</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	श्रेणी	जनसंख्या/ यूनिट (लगभग)	भूखंड क्षेत्र (हेक्टेयर)*	1.	डिविजनल खेल केन्द्र/गोल्फ कोर्स	10 लाख	10 से 30 और ऊपर	2.	जिला न्यायालय	5 लाख	3 से 10										
क्र. सं.	श्रेणी	जनसंख्या/ यूनिट (लगभग)	भूखंड क्षेत्र (हेक्टेयर)*																					
1.	डिविजनल खेल केन्द्र/गोल्फ कोर्स	10 लाख	10 से 30 और ऊपर																					
2.	जिला न्यायालय	5 लाख	3 से 10																					

		3.	सामुदायिक खेल केन्द्र	1 लाख	1 से 3
		4.	प्रतिवेश खेल क्षेत्र	10,000	0.5 से 1
		5.	आवासीय क्षेत्र खेल का मैदान	5,000	0.5
		<p>* भूमि की उपलब्धता के अध्याधीन नोट:</p> <p>i) खेल सुविधाएं पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के साथ उचित ले-आउट प्लान और लैंड स्केप प्लान के अनुसार विकसित की जाएंगी।</p> <p>ii) मौजूदा खेल अवसंरचनाओं का उन्नयन किया जाएगा और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुशलतापूर्वक पुनः योजना बनायी जाएगी।</p> <p>iii) अधिमानतः शैक्षणिक संस्थानों और लैंड स्केप क्षेत्रों में नए खेल के मैदान उपलब्ध/विकसित किए जाएंगे।</p> <p>iv) खेल के मैदान और खेल सुविधाओं में पैदल और साईकिल ट्रेक का नेटवर्क जहां कहीं व्यवहार्य हो, सुलभ कराया जाना चाहिए।</p> <p>v) मल्टी जिम एक हैक्टेयर क्षेत्रफल वाले पार्कों में अनुमेय होंगे और उनका निर्मित क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर तक होगा।</p>			
6.	तालिका 13.17 के नीचे दी गई टिप्पणियां	<p>टिप्पणियां :</p> <p>i) सामुदायिक मनोरंजन क्लबों के मामले में, 2000 वर्ग मीटर से अधिक व 5000 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र पर 50 एफ आर.ए. स्वीकार्य होगा।</p> <p>ii) मनोरंजन क्लब के मामले में, 5000 वर्ग मीटर से अधिक व 10,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र पर 50 एफ आर.ए. स्वीकार्य होगा।</p> <p>iii) खुले क्षेत्रों में आउटडोर खेलों/क्रीडा सुविधाओं के अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज से मुक्त 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र का तरणताल अनुमत होगा।</p> <p>iv) बैंकट हॉल के मामले में,</p>			

		<p>क. पार्किंग के लिए ग्रांड आवरण (ग्रांड एन्वलेप) के भीतर बेसमेंट अनुमत होंगे) पार्किंग के लिए स्टिल्ट फ्लोर अनुमत है।</p> <p>ख. सेवाओं/भंडारण के लिए बेसमेंट क्षेत्रके 30 प्रतिशत को एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा।</p> <p>v) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र के मामले में, प्रांगण की व्यवस्था करने के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत ग्रांड कवरेज की अनुमति होगी। यदि प्रांगण के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्रांड कवरेज का उपयोग कर लिया हो, तो उपयोग किए गए ग्रांड कवरेज के 25 प्रतिशत को एफ.ए.आर. में शामिल किया जाएगा।</p>
अध्याय 17.0 - विकास संहिता		
7.	उप खण्ड/8 (2) की टिप्पणियां: उपयोग ज़ोनों में उपयोग परिसरों की अनुमति	'गांव की आबादी (लाल डोरा/फिरनी)' शब्दों के बाद ' और बढ़ाए गए लाल डोरे ' शब्दों को निम्नानुसार शामिल किया जाए : (Vii) किसी उपयोग ज़ोन में स्थित गांव की आबादी (लाल डोरा/फिरनी) और बढ़ाए गए लाल डोरे का भूमि उपयोग आवासीय है।

[फा. सं. 12011/9/2012-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**(Delhi Division)****NOTIFICATION**New Delhi, the 23rd September, 2013

S.O. 2890(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O.1173 (E) dated 09th May, 2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4094GI/13-2

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

CHAPTER-WISE MODIFICATIONS ARE AS UNDER:

Chapter/S. No.	Para/ Clause/ Table of MPD-2021	Modifications												
1	2	3												
CHAPTER 4.0-SHELTER														
1.	Para 4.2.2.2 B. Unauthorised/ Regularised Unauthorised Colonies	<p>(c) The following facilities can be clubbed in a composite facility centre (500-1000 sqm.)</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Multi-purpose community hall - 100 sqm. (ii) BastiVikas Kendra - 100 sqm. (iii) Religious site - 100 sqm. (iv) Police Post - 100 sqm. (v) Health Centre - 100 sqm. (vi) Park/ShishuVatika - 200 sqm. (vii) Area for essential retail outlets e.g., Milk Booth, Fair Price Shop, Kerosene shop, etc. may be provided. (viii) Provisions for informal trade units and weekly market to be made, wherever necessary <p>(d) In case separate facility plots as per MPD norms are not feasible, the facilities may be clubbed and provided on the basis of ground realities and also by using the concept of Accommodation Reservation (AR).</p>												
CHAPTER 7.0-INDUSTRY														
2.	ANNEXURE-III: PROHIBITED/ NEGATIVE LIST OF INDUSTRIES	<p>However, Environment Department, GNCTD in consultation with Industries department, GNCTD shall take the final decisions to ascertain a particular activity/industry/factory to fall under the said list as per the parameters/norms set by the CPCB and adopted by the DPCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Arc/Induction Furnace.... ...38. Foundries (Cupola Furnace)*88. Stainless Steel Pickling <p>Notes: iii) *However, continuity of any type of furnace shall be within set parameters of CPCB & DPCC.</p>												
CHAPTER 9.0-ENVIRONMENT														
3.	Notes below Table 9.2: Planning Norms, Standards for Recreational Areas/Parks at Neighbourhood Level	<table border="1" data-bbox="794 1787 1433 2002"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 1787 874 1850">S. No.</th> <th data-bbox="879 1787 1098 1850">Category</th> <th colspan="2" data-bbox="1102 1787 1433 1850">Planning Norms & Standards</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th data-bbox="1102 1856 1299 1942">Population/ Unit (Approx.)</th> <th data-bbox="1303 1856 1433 1942">Plot Area (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 1948 874 2002">1.</td> <td data-bbox="879 1948 1098 2002">Neighbourhood Park*</td> <td data-bbox="1102 1948 1299 2002">10000</td> <td data-bbox="1303 1948 1433 2002">1.0</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Category	Planning Norms & Standards				Population/ Unit (Approx.)	Plot Area (Ha)	1.	Neighbourhood Park*	10000	1.0
S. No.	Category	Planning Norms & Standards												
		Population/ Unit (Approx.)	Plot Area (Ha)											
1.	Neighbourhood Park*	10000	1.0											

		<table border="1"> <tr> <td>2.</td> <td>Housing Area Park</td> <td>5000</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tot lot at Housing Cluster Level</td> <td>250</td> <td>0.0125</td> </tr> </table> <p>* Multi-gyms would be permissible in parks having an area of one ha. and would have built up area upto 225 sq.m.</p>	2.	Housing Area Park	5000	0.5	3.	Tot lot at Housing Cluster Level	250	0.0125																	
2.	Housing Area Park	5000	0.5																								
3.	Tot lot at Housing Cluster Level	250	0.0125																								
4.	Notes below Table 9.4	<p>i) The following amenity structures are permissible in the above use premises except in Central Vista and Heritage areas: Toilet blocks, Pump Room, Electric Room, Guard Room, Equipment Room,</p> <p>ii) Interpretation Centre and Administrative office is permissible only in Heritage Areas.</p> <p>iii) Multi-gyms would be permissible in parks having an area of one ha. and would have built up area upto 225 sq.m.</p>																									
CHAPTER 13.0-SOCIAL INFRASTRUCTURE																											
5.	Notes below Table 13.7: Planning Norms and standards for Sports Facilities	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Category</th> <th>Population/unit (approx.)</th> <th>Plot Area (Ha.)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Divisional Sports Centre/Golf Course</td> <td>10 lakh</td> <td>10 to 30 & above</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>District Court</td> <td>5 lakh</td> <td>3 to 10</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Community Sports Centre</td> <td>1 lakh</td> <td>1 to 3</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Neighbourhood Play Area</td> <td>10,000</td> <td>0.5 to 1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Housing Area Play Ground</td> <td>5,000</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Subject to availability of land.</p> <p>Notes:</p> <p>i) The sports facilities shall be developed according to proper layout plan and landscape plan with adequate parking facility.</p> <p>ii) The existing sports infrastructure shall be upgraded and efficiently re-planned to provide better facilities.</p> <p>iii) New play fields shall be preferably provided/ developed in the vicinity of educational institutions and landscape areas.</p> <p>iv) The playground and sports facilities should be accessible by a network of pedestrian and cycle tracks wherever feasible.</p> <p>v) Multi-gyms would be permissible in parks having an area of one ha. and would have built up area upto 225 sq.m.</p>		Sl. No.	Category	Population/unit (approx.)	Plot Area (Ha.)*	1.	Divisional Sports Centre/Golf Course	10 lakh	10 to 30 & above	2.	District Court	5 lakh	3 to 10	3.	Community Sports Centre	1 lakh	1 to 3	4.	Neighbourhood Play Area	10,000	0.5 to 1	5.	Housing Area Play Ground	5,000	0.5
Sl. No.	Category	Population/unit (approx.)	Plot Area (Ha.)*																								
1.	Divisional Sports Centre/Golf Course	10 lakh	10 to 30 & above																								
2.	District Court	5 lakh	3 to 10																								
3.	Community Sports Centre	1 lakh	1 to 3																								
4.	Neighbourhood Play Area	10,000	0.5 to 1																								
5.	Housing Area Play Ground	5,000	0.5																								
6.	Notes below Table 13.17	<p>Notes:</p> <p>i) In case of Community Recreational Clubs, 50 FAR shall be admissible on the area beyond 2000 sqm. and below 5000 sqm.</p> <p>ii) In case of Recreational Club, 50 FAR shall be admissible on the area beyond 5000 sqm. and upto 10,000 sqm.</p>																									

		<p>iii) In the open area apart from outdoor games/sport facilities, swimming pool would be permissible upto a area of 300 sqm. free from ground coverage.</p> <p>iv) In case of Banquet Hall,</p> <p>a. Basements within the ground envelope shall be allowed for parking. Stilt floor for parking is permissible.</p> <p>b. 30% of basement area for services/storage shall not be counted in FAR.</p> <p>v) In case of International Convention Centre, maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted towards FAR.</p>
CHAPTER 17.0-DEVELOPMENT CODE		
7.	Notes of the Sub/Clause 8(2) Permission of Use Premises in Use Zones	<p>Insert the words 'and Extended Lal Dora' after the word 'Village Abadi (Lal Dora/firni)', as under:</p> <p>(vii) Land use of Village Abadi (Lal Dora/firni) and Extended Lal Dora located in any use zone is residential.</p>

[No. K-12011/9/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.